न्यायालय उपखण्ड **कठूमर जिला अलवर**

मिसल नं० 3/33/2022 तारीख रजू..........

बलदेव सिंह **बनाम** तहसीलदार कठूमर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.10.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट प्रार्थी की ओर से प्रार्थी वकील श्री कृपादयाल शर्मा एड० ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दर्ज पंजिका हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 5/11/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
5/11/22	वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तामील होकर तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी दिनांक 18/11/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज०	
18/11/22	वकील प्रार्थी उप० सरकार पैरोकार उप० सरकार पैरोकार ने जवाब प्रस्तुत किया, रिकॉर्ड पर लिया गया एवं वास्ते बहस वकील प्रार्थी एवं सरकार पैरोकार की बहस सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 18/11/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज०	
18/11/22	वकील प्रार्थी एवं सरकार पैरोकार उपस्थित। पत्रावली प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पैमाइश रिपोर्ट के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार को आदेश है तहसील (आर०आई०) निर्णय प्राप्त होने से पैमाइश कराकर रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली बैमल शुमार होकर नियमानुसार बाद तकमील जिला अभिलेखागार भिजवाई जावे। सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज०	

उक्त आराजी का नक्शा का अपना आराजी में मिलान का ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखन सिंह गुर्जरआर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03 / 33 / 2022

वउनवान

1. बलदेवसिंह पुत्र हण्डू जाति जाट निवासी तुसारी तहसील कठूमर जिला अलवर

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यु एक्ट

उपस्थितः—श्री कृपादयाल गुर्जर एडवोकेट—अधिवक्ता प्रार्थीयान

आदेश

दिनांक 18.11.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर1051 / 1218 रकवा 0.51 हे. ग्राम तुसारी तहसील कठूमर में स्थित है।जो आराजी प्रार्थी की खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। उक्त आराजी की सीमायें हो रही है लेकिन उक्त आराजी की सीमायें खुली होने अथवा तारबन्दी व पत्थरगढी नहीं होने के कारण पडौसी खातेदार ताकत के बल पर प्रार्थी को परेशान करते है। ताकत के वल पर उक्त आराजी की डोलो को तोडकर उक्त आराजी पर कब्जा करना चाहते है ट्रेक्टर से जोतकर व फावडो से काट कर कुछ जमीन दवाभीली है। इस वजह से प्रार्थी उक्त आराजी की पैमाइस कराकर व सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी ने उक्त आराजी की पैमाइस कराकर सीमाज्ञान के आधार परपत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी नियमानुसार राजकोश मेंरा राशि जमाकराकर सीमाज्ञान व पत्थरगढी करा सकते है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के साथ सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी हाल संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम तुसारी पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यो प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकारसरकार को सुना। मुताविक जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 1051/1218 रकवा 0.51 हे. ग्राम तुसारी तहसील कठूमर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ने पडौसी काश्तकारों द्वारा उक्त आराजी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करने व जवरन कब्जा करने की धमकी देने का कथन किया है। जिसके लिये प्रार्थी ने पैमाइस कराने व सीमाज्ञान के पश्चात व सीमाज्ञान को ध्यान में रखते हुये पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। पैरोकारसरकार ने अपने जवाव मे कथन किया कि नियमानुसार पैमाइस शुल्क जमाकराने पर प्रार्थी पैमाइस व पत्थरगढी कराने का अधिकार रखता है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पैमाइस रिपोर्ट के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकारसरकार की वहस सुनने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार को आदेश दिये जाते है कि वो आराजी खसरा नम्बर 1051/1218 रकवा 0.51 हे. वाके ग्राम तुसारी तहसील कठूमर से फसल कटने के वाद विधि के अनुसार पैमाइस/सीमाज्ञान कराक रप्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढी कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। आदेश की तहरीर तहसीलदार कठूमर को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल हो कर नम्बर से कम हो।

लाखन सिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

अतः यह आदेश आज दिनांक 18.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

लाखन सिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)